

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—15/2023 (2023/47) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बाबुलाल पिता गिरधारी हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पिता रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लच्छु पिता रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बेबी पुत्री रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लीला पुत्री रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. आशा पुत्री रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रोशनलाल पिता जीवनराम खटीक निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश चन्द्र टेलर—

प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 04.04.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 4002 रकबा 0.71 है 0 भूमि राजस्व खाता संख्या 651 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने दिनांक 28.12.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख



मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पथरगढी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराज्जी संख्या 4002 रकबा 0.7.1 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 651 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पथरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पथरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराज्जी की पथरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत पथरगढी करावे। प्रकरया निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सिद्धाजीप)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाडा
रायपुर (बीलवाडा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-15 / 2023 (2023 / 47) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बाबुलाल पिता गिरधारी हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पिता रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लखु पिता रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बेबी पुत्री रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लीला पुत्री रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. आशा पुत्री रामपाल हरिजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रोशनालाल पिता जीवनराम खटीक निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियत की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 04.04.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कारत की आराजी संख्या 4002 रकबा 0.71 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 651 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित मू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियत पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल रसाही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्या मौका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
राज्य न्यायालय
रायपुर, जहार्खण्ड